



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpl.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 () आकाशि/नि.सं./2022/16

आदेश

दिनांक-

10/11/23

“स्वर्गीय कुमारी लक्ष्मी बंधाला शिक्षण एवं शोध संस्थान, चौमू जयपुर” द्वारा संचालित स्वर्गीय कुमारी लक्ष्मी बंधाला गर्ल्स पी.जी. कॉलेज, चौमू जयपुर” जो कि विभाग द्वारा सत्र 2011-12 से स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है। विभाग के पूर्व आदेश दिनांक 28.12.2004, 20.06.2006 एवं 04.01.2010 के तहत स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र धारक निजी महाविद्यालय नवीन विषय/संकाय में सीधे ही संबंधित विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उक्त संस्था द्वारा सत्र 2012-13 से स्नातकोत्तर स्तर विषय संस्कृत, हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, भूगोल एवं इतिहास एवं सत्र 2013-14 से रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान विषयों की सम्बद्धता संबंधित विश्वविद्यालय से प्राप्त की है।

निजी महाविद्यालय नीति बिन्दु 32 के तहत उक्त विषयों का नियमतीकरण करते हुए सत्र 2022-23 से स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

41

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा10 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक, नि.सं.

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एक4 (91)आकाशि/वि.सं./2007/1861

दिनांक- 25-6-18

आदेश

राजस्थान की सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिनियम निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2018-19 से स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय व विषय में स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

संघालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	नवीन संकाय व विषय
स्वर्गीय कुमारी लक्ष्मी कपाला शिक्षण एवं शोध संस्थान, धौलपुर, जयपुर।	स्वर्गीय कुमारी लक्ष्मी कपाला गवर्नर्स पी.जी. कॉलेज, धौलपुर, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	स्नातकोत्तर स्तर पर- कला संकाय-अंग्रेजी साहित्य। विज्ञान संकाय- यनस्पतिशास्त्र।

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार नया वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
2. आंतरिकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
3. संस्था को सनद-सनद पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
4. संस्था संबन्धित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में वी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावे।
5. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
6. संस्था द्वारा स्थापित जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
7. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
8. राज्य सरकार संस्था को यर्तमान व भविष्य में इतत हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
9. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
10. राज्य सरकार की निजी महाविद्यालय नीति 2017-18 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
11. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुरितक एवं महाविद्यालय दिवसिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाएं भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishenic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याह्वित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त-निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (69) आकाशि/अनु/2007 / 8083

दिनांक- 13/12/2011

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2011-12 से पूर्व में आवंटित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र. सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1	69	रथ0 कु0 लक्ष्मी बहाला गर्ल0 कालेज	गोविन्दगढ़, चीमू जिला जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय एवं संकाय

नोट- संस्था 6 माह में सम्बन्धित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक स्टाफ का अनुमोदन पत्र प्राप्त कर संलग्न करें।

1. संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बन्धन प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
4. संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहृत (Withdraw) किया जा सकता है।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार निदेशालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
10. प्रति वर्ष निदेशालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर निदेशालय को भेजेगी।

निदेशक

कालेज शिक्षा राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जयपुर।
5. विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा (गुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय
8. सांख्यिकी शाखा, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)

7/5/10

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा

07-6-10

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमाक : एफ 4 (69) आकाशि/अनु/07/648

दिनांक 31/5/10

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2010-11 हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में शर्त अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है।

क्र.सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/ संकाय
1	69	स्व0कु0 लक्ष्मी बघाला गर्ल्स पी. जी. कालेज, एन.एच.11 राजकीय स्टेडियम के पास, गोविन्दगढ़, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित संकाय एवं विषय तथा नवीन वाणिज्य संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त- एबीएसटी, ईएएफएम, व्यावसायिक प्रशासन



- संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी.सी.आई. से मान्यता व विश्वविद्यालय से सम्बद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
- संस्था को स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मापदण्ड पूर्ण कर अगले सत्र से पहले निर्धारित अवधि में अनिवार्य रूप से विभाग को आवेदन प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा मापदण्डों के अभाव में संस्था के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जावेगी।
- स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मापदण्ड :-
 - पूजाती योग्यताधारी स्थायी स्टाफ पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदन
 - मानदण्डानुसार संस्था के नाम भूमि व भवन
 - स्टाफ का बैंक द्वारा वेतन का शुभतान
 - समस्त स्टाफ की पी.एफ. कटीती
 - समुचित छात्र सुविधाओं का विकास
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संस्था राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये सभी आदेशों/निर्देशों की पालना करेगी।
- संस्था द्वारा सूचना का अधिकार के अन्तर्गत आवेदक को आवश्यक रूप से सूचना उपलब्ध करानी होगी।
- संस्था प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति पर सम्बद्ध विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्रस्तुत करेगी।
- संस्था आयुक्तालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयवधि में जमा करायेगी।
- मापदण्डों की अधिक जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।

आयुक्त,

कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जयपुर।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (गुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. सचिव, सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय
8. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (69/307) अकाशि/अनु/07/142

दिनांक 15 मई 2009

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार उक्तवर्षी से 2009-10 हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अतिरिक्ति निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकार की जाती है-

क्र.सं.	पत्र सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	उच्च शिक्षा विभाग	विषय/ संख्या
1	307	स्यो कुमारी लक्ष्मी कधाता गर्ल्स कॉलेज,	राजो स्टेडियम के पास, गोविंदगढ़-जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व संचालित विषय संख्या

1. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्राप्त करणी तथा केंद्र विश्वविद्यालय के प्रकल्प न नोंदित, 2. विश्वविद्यालय सम्बद्धता पर अनुमोदन भी प्राप्त करेगी ।
2. महाविद्यालय द्वारा रात्र 2010-11 में केवल पार्ट द्वितीय/तृतीय, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध और रात्र 2011-12 में केवल पार्ट तृतीय में छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा ।
3. आगामी शत्रों में पार्ट प्रथम/स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध पुनः प्रारम्भ करने हेतु राजस्थान और राजकीय शैक्षिक संस्था नियम 1993 के नियम 5 (i) एवं परिशिष्ट - द्वितीय में उल्लिखित भूमि, भवन, स्टाफ़ व अन्य समस्त शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियमानुसार सुनिश्चित करने के उपरान्त ही नये सिरे से निर्धारित समय पर निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन प्रस्तुत कर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।
4. राज्य सरकार संस्था की कोमान व भविष्य में इस हेतु कोई विकल्प न्यायता नहीं देगी ।
5. संस्था राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा की सभी निर्देशों को पालन करेगी ।
6. संस्था भविष्य में समय पर सभी मासिकताओं की पूर्ति कर ए-आ-सी अतिरिक्ति करने हेतु आवेदन करेगी ।
7. संस्था प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति पर सम्बद्धक विश्वविद्यालय को अनुमोदन प्रस्तुत करेगी ।
8. संस्था आयुक्तालय से सांख्यिकी पुरतियार प्राप्त कर पूर्ण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगी ।

(पवन कुमार शर्मा,
अधीक्षक)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुव्यवस्था एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजित है-

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर, जयपुर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (गुण-व) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. कूल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
8. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय (रजिस्टर्ड ए.डी.)
9. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. सर्वोच्च संस्था/ महाविद्यालय प्राचार्य ।
11. रक्षित फाइलें ।

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

08
5.9.2008

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
दिनांक 11/9/2008
क्रमांक : एफ 4 (89/311) आकाशि/अनु/07/9350

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2008-09 हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

क्र.सं.	पत्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/ संकाय
1	311	स्य कु. लक्ष्मी बघाला गर्ल्स कॉलेज	एन. एच. 11, राजकीय स्टेडीयम के पास, गोविन्दगढ़, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व में संचालित विषय एवं संकाय के अतिरिक्त कला संकाय में गृह विज्ञान विषय

1. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी.सी.आई. से विश्वविद्यालय सम्बद्धता पर अनुमोदन भी प्राप्त करेगी ।
2. महाविद्यालय द्वारा सत्र 2009-10 में केवल पार्ट द्वितीय/तृतीय/स्नातकोत्तर उत्तराई और सत्र 2010-11 में केवल पार्ट तृतीय में छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा ।
3. आगामी सत्रों में पार्ट प्रथम/स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध पुनः प्रारम्भ करने हेतु राजस्थान गैर राजकीय शैक्षिक संस्था नियम 1993 के नियम 5 (i) एवं परिशिष्ट - द्वितीय में उल्लिखित भूमि भवन, स्टाफ व अन्य समस्त शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियमानुसार सुनिश्चित करने के उपरान्त ही नये सिरे से निर्धारित समय पर निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन प्रस्तुत कर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।
4. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
5. संस्था राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा के सभी निर्देशों की पालना करेगी ।
6. संस्था भविष्य में समय पर सभी मापदण्डों की पूर्ति कर एन.ओ.सी. अभिवृद्धि करने हेतु आवेदन करेगी ।
7. संस्था प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति पर सम्बद्ध विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्रस्तुत करेगी ।
8. संस्था आयुक्तालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयवधि में जमा करायेगी ।

(पवन कुमार गोयल)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शरसन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर, जयपुर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (गुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
8. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय (रजिस्टर्ड ए.डी.)
9. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली ।
11. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त-निदेशक (अनुदान),
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

03
20-8-07

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (23) लेख/आकाशि/अनु/2007-08/1702

दि 09 मई, 2007

आदेश

सत्र 2007-08 में महिला क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित शर्तों पर निम्नलिखित संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित संकाय/विषय हेतु एक वर्ष के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है -

क्र. सं.	पत्रा. सं०	संस्था का नाम व पता	महाविद्यालय का नाम व पता	विश्वविद्यालय का नाम	विषय एवं संकाय (रसायन स्तर)
1	15	मनिन्द्र बाल निकेतन समिति, चन्वाना, लक्ष्मील चिडावा, जिला झुंझुनू.	मनिन्द्र गर्ल्स कॉलेज, चन्वाना, त. चिडावा, जिला झुंझुनू.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त - अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, अर्धशास्त्र, भूगोल, राजस्थानी, बोकेशनल कोर्स कम्प्युटर एप्लीकेशन
2	12	स्व.कु. लक्ष्मी बंगला शिक्षण एवं शोध संस्थान, गोविन्द गड, जिला जयपुर	स्व.कु. लक्ष्मी बंगला गर्ल्स कॉलेज, गोविन्दगड, जिला जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त - अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, अर्धशास्त्र, भूगोल, बोकेशनल कोर्स कम्प्युटर एप्लीकेशन, संस्कृत साहित्य विज्ञान संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त - रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र, बायोटेक्नालाजी, बायोकेमिस्ट्री
3	20	राधाकृष्णन शिक्षण समिति, 49, लक्ष्मीनगर, श्रीगंगानगर	राधाकृष्णन कन्या महाविद्यालय, गगनपथ, जवाहर नगर (अरोड वंश भवन), श्रीगंगानगर	बीकानेर विश्वविद्यालय बीकानेर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त - अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, अर्धशास्त्र, भूगोल, दर्शन शास्त्र, संस्कृत साहित्य एवं पी.सी.ए., पी.बी.ए.
4	6	न्यू लुक स्कूल सोसायटी, न्यू लुक स्कूल, कोठारी हबेली, ओसवाल बाडा, बांसवाडा	न्यू लुक गर्ल्स कॉलेज, लोधा परिसर, बांसवाडा	एम.एल.एस. विश्वविद्यालय उदयपुर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त - अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, अर्धशास्त्र, भूगोल, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, चित्रकला, दर्शन शास्त्र, सनीत वाणिज्य संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त - ईएफएन, एबीएसटी, व्यवसायिक प्रशासन विज्ञान संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त - रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र, बायोटेक्नालाजी, बायोकेमिस्ट्री

1. संस्था को एक वर्ष की अवधि में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्वयं की भूमि पर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करना होगा तथा अन्य आधारभूत संरचना के कार्य भी पूर्ण करने होंगे । तत्पश्चात संस्था को इसके निरीक्षण हेतु इस कार्यालय को सूचित करना होगा ।
2. संस्था/महाविद्यालय को यू.जी.सी. द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों/दिशा-निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी ।
3. अस्थाई परिसर में संस्था/महाविद्यालय को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा प्रथम वर्ष/पूर्वाद्धकी कक्षाएँ चलाने हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध होना आवश्यक है । इसी प्रकार अगले वर्षों में चलायी जाने वाली कक्षाओं के लिए तदनुसार वर्ष में भवन उपलब्ध होना आवश्यक है ।
4. शिक्षण व अन्य शुल्क बाबत राज्य सरकार के निर्णयों को लागू करने हेतु संस्था व महाविद्यालय बाध्य होंगे ।
5. छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (Affiliation) प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
6. स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
7. महाविद्यालय में प्रवेश प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की होगी ।